1. नीति का उद्देश्य, प्रयोग और दायरा

1.1. **उद्देश्य।**

1.1.1. एक जिम्मेदार व्यावसायिक उद्यम के तौर पर रीगल (Regal) के पास, हमारे व्यवसाय का मार्गदर्शन करने, हमारी संचालन संस्कृति और उद्देश्यों को परिभाषित करने एवं हमारे ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, एवं जिन समुदायों में हम रहते और कार्य करते हैं – वे जिनका विश्वास हमें, सफल होने के लिए अवश्य अर्जित करना होगा - उनके विश्वास को बनाए रखने की नीतियां हैं। Regal को उन व्यावसायिक लोगों और भागीदारों के साथ अनिवार्य रूप से विशेष सावधानी के साथ कार्य करना होगा, जिन्हें हम अपने लिए या अपनी ओर से व्यवसाय करने के लिए संबद्ध करते हैं। हम घूस नहीं देते - न तो व्यवसाय पाने के लिए, न ही व्यवसाय को बनाए रखने के लिए, न ही कोई चीज पाने के लिए, और हम आशा करते हैं कि जो लोग हमारे लिए कार्य करते हैं, वे भी ऐसा ही करें।

1.1.2. यह नीति हममें से प्रत्येक से अपेक्षा करती है कि हम अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में, सभी स्थानों पर और हम जहां भी व्यवसाय करते हैं, वहां पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार से बचें। यह हमें इस विचार को केंद्र में रख कर मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है कि घूसखोरी और भ्रष्ट गतिविधियां करने लायक सही कार्य **कभी नहीं** हो सकते।

1.1.3. इसके अलावा, पूरी दुनिया में कानून घूसखोरी और भ्रष्ट कार्यों का निषेध करते हैं और सरकारों, सरकारी अधिकारियों और एजेंटों के साथ संपर्कों और संबंधों से संबंधित हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। यह नीति कंपनी और इसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, संबद्ध लोगों, सहायक कंपनियों, परामर्शदाताओं, रिसेलर्स (पुनर्विक्रेताओं), और प्रतिनिधियों का गैरकानूनी और भ्रष्ट गतिविधियों एवं घूसखोरी से बचने के लिए मार्गदर्शन करती है। न केवल अमेरिका का विदेशों में भ्रष्ट कार्यप्रथाओं से संबंधित अधिनियम 1977 (U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977) अपने संशोधित रूप में (“FCPA”) और 2010 का यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) का घूसखोरी संबंधी अधिनियम (2010 U.K. Bibery Act), बल्कि जिन अन्य देशों में कंपनी व्यवसाय करती है, या करने का इरादा रखती है, उनके कानून भी हमसे उनकी अपेक्षाओं के बारे में जागरूक रहने और उनका अनुसरण करने की अपेक्षा रखते हैं।

1.1.4. हममें से प्रत्येक को भ्रष्टाचार को Regal के किसी लेन-देन तथा व्यापार का हिस्सा बनने से रोकने के लिए अनिवार्य रूप से कार्य करना चाहिए। इसमें सभी देशीय और विदेशी कानूनों का अनुपालन, अनुचित भुगतानों, उपहारों या किसी व्यक्ति, जिनमें निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, को किसी प्रकार का प्रलोभन देने या किसी व्यक्ति से प्राप्त करने का निषेध शामिल है।

1.2. **प्रयोग और दायरा।** यह नीति रीगल बेलॉयट कॉर्पोरेशन (Regal Beloit Corporation), इससे नियंत्रित और संबद्ध और सहायक कंपनियों (जिन्हें सामूहिक रूप से “Regal” या “कंपनी” कहा जाता है) पर लागू होती है। इसमें इसके सभी कर्मचारी और Regal से संबद्ध कोई भी अन्य व्यक्ति, जैसे कि इसके निदेशक, एजेंट, प्रतिनिधि, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, संयुक्त उद्यम के भागीदार, वितरक और अन्य व्यावसायिक भागीदार, पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग, दलाल, रिसेलर्स (पुनर्विक्रेता), परामर्शदाता और Regal को या Regal के लिए सेवाओं या उत्पादों को उपलब्ध कराने वाला कोई अन्य भागीदार या तृतीय पक्ष शामिल है।

2. नीति संबंधी प्रावधान।

2.1. **व्यवसाय न “खरीदें”।** जिन देशों में हम व्यवसाय संचालित करते हैं, उनमें से अनेक में वाणिज्यिक घूसखोरी संबंधी कानून हैं जो व्यवसाय प्राप्त करने या उसे बनाए रखने के लिए किसी को भी भ्रष्ट प्रकार का कोई भुगतान करना निषेधित करते हैं। Regal का मानना है कि उसे व्यवसाय के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और मूल्यवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, और यह व्यवसाय के लिए “भुगतान” करने की अनुमति नहीं देता। उपहार देने और लेने से, जिसमें भोजन और मनोरंजन शामिल हैं, भ्रष्टाचार की आशंका उत्पन्न हो सकती हैं और ऐसा

लगता है कि आप किसी अन्य का व्यवसाय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य नियम के तौर पर, उपहार, मनोरंजन और आतिथ्य स्वीकार्य हैं, यदि वे तर्कसंगत, उचित अनुपात में हैं, और अच्छी नीयत से दिए गए हैं एवं वे हमारी कंपनी की नीतियों का अनुपालन करते हैं: कार्पोरेट नीतियां जिनमें यात्रा, दावतों और मनोरंजन तथा उपहार संबंधी नीति शामिल है, जिसे व्यावसायिक आचार और नैतिकता संहिता (Code of Business Conduct and Ethics) ("संहिता") में बताया गया है एवं जो इस संबंध में मार्गदर्शन करती है कि स्वीकार करने योग्य व्यावसायिक सौहार्द्र एवं संभावित भ्रष्ट प्रकार के भुगतान के बीच कैसे अंतर किया जाए।

2.2. **घूसखोरी नहीं।** ऐसी कोई भी मूल्यवान चीज **घूस** है जिसे किसी व्यक्ति के कार्यों या निर्णयों को प्रभावित करने के लिए या व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए दिया गया है। Regal से संबद्ध कोई भी व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक अधिकारी या राज्य के स्वामित्व वाली अथवा राज्य-नियंत्रित इकाई या किसी वाणिज्यिक इकाई के कर्मचारी को पैसा, उपहार, या किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, भुगतान, भुगतान करने का वादा या भुगतान की, या उसकी सुपुर्दगी की स्वीकृति: (i) किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने; (ii) किसी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी कर्मचारी या अधिकारी को उसके प्रभाव का उपयोग करने हेतु प्रलोभन देने; या (iii) Regal को कोई व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने में सहायता देने के लिए कोई लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं करेगा/देगा। इस संदर्भ में "Regal से संबद्ध कोई व्यक्ति नहीं का मतलब है" कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी, एजेंट, प्रतिनिधि, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, वितरक और अन्य सभी व्यावसायिक भागीदार।

2.3. **सटीक बही खाते और रिकाड्र्स रखें।** हम सटीक तथा पूरे किए गए बही-खाते एवं रिकार्ड और उपयुक्त ढंग का आंतरिक अकाउंटिंग (हिसाब-किताब संबंधी) नियंत्रण रखेंगे। Regal के किसी धन या परिसंपत्ति का उपयोग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से किसी गैर-कानूनी, अनुचित या अनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

2.3.1. Regal अपने बही-खातों, रिकार्डों, और अकाउंट्स को उचित ब्योरे के साथ सटीक तरीके से इस ढंग से रखेगा कि वे परिसंपत्तियों के सभी लेन-देन और प्रबंधन/निपटान को निष्पक्ष ढंग से व्यक्त करें।

2.3.2. कंपनी के बही-खातों में किसी लेन-देन की विशेषताओं का गलत ढंग से वर्णन करने या उन्हें विलुप्त करने अथवा उचित ढंग का अकाउंटिंग नियंत्रण रखने में इस प्रकार से असफल होने, जिसका परिणाम विशेषताओं का गलत ढंग से वर्णन या विलोपन हो सकता है, की अनुमति किसी को नहीं है। सभी भुगतानों और खर्चों का ब्योरेवार, सटीक विवरण रखना आवश्यक है।

2.3.3. हमारे कर्मचारियों को अकाउंटिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए लागू होने वाले मानदंडों, सिद्धांतों, कानूनों और Regal की कार्यप्रथाओं का पालन अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से कहा जाए तो, कर्मचारियों को सभी रिपोर्टों और रिकार्डों को तैयार करते वक्त समय का पाबंद और पूरा तैयार रहना चाहिए। जैसा कि सरकारी या सार्वजनिक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य लेन-देनों के संबंध में इस नीति में स्पष्ट किया गया है, कर्मचारियों को जिम्मेदार Regal उपाध्यक्ष या विधि विभाग से, और जब उपयुक्त हो, तब गैर-अमेरिकी सरकारी इकाइयों से अपेक्षित अनुमोदन अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

2.3.4. किसी गैर अमेरिकी सरकारी अधिकारी को भुगतान करने या भुगतान करने की स्वीकृति देने से पहले Regal के कर्मचारी या एजेंट इसकी पुष्टि करेंगे कि इस प्रकार के भुगतान का कोई भी अंश ऐसे किसी भी उद्देश्य से लिए नहीं दिया जाएगा, जिसे Regal के बही-खातों और किताबों में पूरी तरह और सटीक ढंग से वर्णित न किया गया हो।

2.3.5. Regal का कोई अप्रकट या रिकार्ड न किया गया अकाउंट किसी भी उद्देश्य के लिए कायम नहीं किया जाएगा।

2.3.6. Regal के बही-खातों और रिकार्डों में किसी भी कारण से कोई गलत या कृत्रिम प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

2.3.7. अंततः, निजी निधियों (कोषों) का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हरगिज़ नहीं किया जाना चाहिए, जिसका Regal की नीति में अन्य प्रकार से निषेध किया गया हो।

2.4. **विपणन, यात्रा और मनोरंजन व्यय।** नेकनीयती वाले व्यावसायिक उद्देश्यों से सीधे संबंधित नाम मात्र के व्यावसायिक मनोरंजन, साथ ही Regal के लोगो अंकित नाम मात्र के उपहारों की अनुमति संहिता एवं इस नीति में दी गई है। बशर्ते इस प्रकार के व्यय के लिए संहिता एवं लागू होने वाली Regal की अन्य नीति(यों) के अंतर्गत अपेक्षित सभी अनुमोदनों को प्राप्त कर लिया गया हो। और, विधि विभाग की व्यक्त

यह दस्तावेज नियंत्रित है और इसे इलेक्ट्रॉनिक विधि से जारी किया गया है। Regal corporate website (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) पर पोस्ट किया गया इंग्लिश संस्करण सबसे अद्यतिद दस्तावेज है। मुद्रित प्रतियां या इलेक्ट्रॉनिक विधि से अन्य स्थानों पर स्टोर की गई प्रतियां पुरानी (व्यवहार में न आने वाली) हो सकती है।

अनुमति के बिना किसी "सार्वजनिक अधिकारी" के लिए बाजार करने और उसके मनोरंजन पर ऐसा कोई व्यय नहीं किया जा सकता जिसके 100 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने की संभावना हो।

2.5. **परोपकारी दान।** कुछ विशेष परिस्थितियों में Regal द्वारा या Regal की ओर से अमेरिकी क्षेत्राधिकार से बाहर दिया गया परोपकारी दान, या किसी विदेशी अधिकारी की ओर से दिया गया, या उसके द्वारा अनुरोधित परोपकारी दान घूस के रूप में देखा जा सकता है। जिम्मेदार Regal उपाध्यक्ष (Regal Vice President) और विधि विभाग से परामर्श किए बिना Regal के लिए परोपकारी दान न करें।

2.6. **विलय और अधिग्रहण।** यद्यपि अमेरिकी सरकार ने लक्षित कार्पोरेशनों के विलय /अधिग्रहण से पहले के उस आचरण के कारण, जिनसे FCPA का उल्लंघन हुआ, उन्हें खरीदने के विरुद्ध प्रवर्तन (इनफोर्समेंट) कार्यों को सबसे उल्लेखनीय ढंग से क्रियान्वित किया है, पर पूरे विश्व में अन्य सरकारें भी भ्रष्ट गतिविधियों के कारण कार्पोरेशंस और उसके नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करती है। इसलिए, किसी भी लक्षित कंपनी का विलय या अधिग्रहण करने से पहले Regal की भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित विशेष ढंग की सतर्कता यथोचित ढंग से बरती जानी चाहिए।

2.7. **Regal की ओर से व्यवसाय संचालित करने वाले व्यावसायिक भागीदारों को भी सत्यनिष्ठा के साथ ऐसा करना चाहिए।** हर व्यक्ति को विश्वासयोग्य, ईमानदार, स्पष्टवादी, निष्पक्ष और खुले व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। Regal ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसी किसी इकाई के साथ व्यवसाय नहीं करेगा, जो व्यक्ति या इकाई सत्यनिष्ठा के साथ और घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार के बिना व्यवसाय करने के लिए वचनबद्ध न हो।

2.8. **व्यावसायिक भागीदार कार्यविधि का अनुसरण करें।** एजेंटों, वितरकों, व्यावसायिक भागीदारों और अन्य तृतीय पक्षों के उपयोग के लिए यथोचित सतर्कता अपेक्षित है। बाहरी दुनिया में Regal की ओर से कार्य करने वाले और Regal का प्रतिनिधित्व करने वाले एजेंटों का प्रयोग भ्रष्टाचार होने के बड़े जोखिम के लिए क्षेत्र उपस्थित करता है। लेकिन यथोचित सतर्कता बरतने की उचित प्रणाली के जरिए इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एजेंटों, वितरकों, प्रतिनिधियों, या अन्य व्यावसायिक भागीदारों (जिन्हें सामूहिक रूप से "व्यावसायिक भागीदार" या "तृतीय पक्ष" या "3सरा पक्ष" कहा जाता है), के लिए सभी कार्यविधियों की अपेक्षाओं को समझें और जानें ताकि उन्हें उचित ढंग से संबद्ध किया जा सके या रखा जा सके। **परिशिष्ट 1, व्यावसायिक भागीदार संबद्धता या पुनर्संबद्धता कार्यविधि (Business Partner Engagement or Re-engagement Procedure) (100.102.001)** में अतिरिक्त सूचना और कार्यविधियां दी हुई हैं।

2.9. जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, यद्यपि हमारे सभी व्यावसायिक भागीदारों को इस नीति का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, फिर भी, एजेंटों, दलालों, परामर्शदाताओं, विक्रय प्रतिनिधियों, विक्रय एजेंटों, वितरकों, अटॉर्नियों, अकाउंटेंटों, ट्रैवल एजेंटों या Regal और उसकी सहायक कंपनियों की ओर से कार्य करने वाले, उन अन्य व्यावसायिक भागीदारों का उपयोग, जो बाहरी दुनिया में Regal का प्रतिनिधित्व करते हैं, या Regal उत्पाद बेचते हैं, विशेष जोखिम उपस्थित करता है। Regal हमारी ओर से कार्य करने वाले व्यावसायिक भागीदारों के लिए ऐसे किसी भी आचरण से संबद्ध होने का निषेध करता है, जो FCPA, यूके के घूसखोरी संबंधी अधिनियम (UK Bribery Act), अन्य घूसखोरी विरोधी कानूनों, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों, या इस नीति द्वारा निषेधित हों। परिशिष्ट 1, व्यावसायिक भागीदार संबद्धता कार्यविधि में उल्लेख किए गए ढंग से यूके के घूसखोरी संबंधी अधिनियम, नैतिकता एवं अनुपालन कार्यालय से संपर्क करें।

3. **सहायक परिभाषाएं।**

3.1. **घूस।** किसी व्यक्ति के कार्यों या निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयास के तौर पर अथवा किसी व्यावसायिक लाभ को प्राप्त करने या बनाए रखने के उद्देश्य से दी गई कोई भी मूल्यवान वस्तु घूस हो सकती है। घूसों का उद्देश्य व्यवहार को प्रभावित करना होता है – वे आधिकारिक या सार्वजनिक हैसियत वाले व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए दिया गया पैसा, कोई विशेष सुविधा, कोई मूल्यवान वस्तु, कोई लाभ अथवा केवल किया गया वादा हो सकती हैं। इससे आमतौर पर दो व्यक्ति संबद्ध होते हैं, और दोनों को लाभ होता है। घूस के उदाहरणों में शामिल हैं:

यह दस्तावेज नियंत्रित है और इसे इलेक्ट्रॉनिक विधि से जारी किया गया है। Regal corporate website (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) पर पोस्ट किया गया इंग्लिश संस्करण सबसे अद्यतिद दस्तावेज है। मुद्रित प्रतियां या इलेक्ट्रॉनिक विधि से अन्य स्थानों पर स्टोर की गई प्रतियां पुरानी (व्यवहार में न आने वाली) हो सकती है।

3.1.1. किकबैक (व्यवसाय हासिल करने के लिए छिपे तौर पर दिया गया पैसा), कर्ज, शुल्क या पुरस्कार के रूप में नक़दी देना या लेना

3.1.2. अनुचित दबाव डालने के उद्देश्य से सहायता, दान या मतदान

3.2. **सरकारी अधिकारी।** हम "सार्वजनिक अधिकारी" या "सरकारी अधिकारी" शब्दों को व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं ताकि इसमें न केवल सरकार, सरकारी एजेंसी या सरकारी मंत्रालय द्वारा नियोजित पारंपरिक सरकारी अधिकारियों या व्यक्तियों, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक एजेंसियों और राजनीतिक दलों और सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी इकाई, जिनमें राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उद्योग भी शामिल हैं ("SOE") के कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जा सके। सार्वजनिक अधिकारियों को किए जाने वाले भुगतान और दिए जाने वाले उपहार, साथ ही उनका मनोरंजन विशेष रूप से समस्या उत्पन्न कर सकता है, ऐसा होने से पहले ही विधि विभाग द्वारा उनका मूल्यांकन कर लिया जाना चाहिए।

3.3. **व्यवसाय प्राप्त करना अथवा बनाए रखना।** इसी प्रकार, "व्यवसाय प्राप्त करने और बनाए रखने" को व्यापक स्तर पर परिभाषित किया गया है ताकि उसमें केवल वे आचरण शामिल न हों, जो किसी विशिष्ट सरकारी व्यवसाय की ओर अग्रसर करते हैं, बल्कि वे आचरण भी शामिल हों जो Regal को सामान्य अर्थों में व्यवसाय करने में सहायता देते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा जारी लाइसेंसों और परामिटों को प्राप्त करना।

3.4. **सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम।** सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम (SOE) ऐसे कई देशों में मौजूद हैं, जहां हम व्यवसाय करते हैं, और उन्हें विश्व भर में भ्रष्टाचार से अधिक निकटता से संबद्ध माना जा सकता है। भ्रष्टाचार से बचने के लिए हमें SOE से Regal के संबंधों और संविदाओं की संरचना विशेष सावधानी के साथ करनी चाहिए। SOE में वे इकाइयां शामिल हैं जिन पर किसी देश या सरकार या "राज्य" का पूर्ण या केवल आंशिक स्वामित्व है।

3.5. **कोई भी मूल्यवान वस्तु।** "कोई भी मूल्यवान वस्तु", इन शब्दों को व्यापक रूप से इसलिए परिभाषित किया गया है ताकि केवल नकद पैसे या उसके समतुल्यों से अधिक चीजों को शामिल किया जा सके। "कोई भी मूल्यवान चीज" में यात्रा व्यय का भुगतान, सेवाएं उपलब्ध कराना, गोल्फ आउटिंग्स या अन्य मनोरंजन, जो किसी व्यापारिक लेन-देन विशेष के लिए अत्यधिक या अपारंपरिक हों, ऋण को अपने जिम्मे ले लेना या उसे माफ कर देना, निजी उपकार, नौकरी देने का प्रस्ताव, और परोपकारी दान भी शामिल हो सकते हैं।

4. **घटनाओं या चिंताओं की रिपोर्ट करना।** Regal के प्रत्येक कर्मचारी को इस नीति और कार्यविधि के बारे में प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों को किसी वास्तविक या संदेहास्पद घूस अथवा किसी अनुचित भुगतान या लाभ के लिए अनुरोध या प्रस्ताव की रिपोर्ट तत्काल किसी स्थानीय प्रबंधक या सुपरवाइज़र, मानव संसाधनों (Human Resources), नैतिकता एवं अनुपालन कार्यालय (Ethics & Compliance Office) (integrity@regalbeloit.com 608-361-7416 या 800-833-7901), विधि विभाग (Legal Department) (legal@regalbeloit.com) या रीगल सत्यनिष्ठा सतर्कता लाइन (Regal Integrity Alert Line) को अगले पैराग्राफ में वर्णित विधि का प्रयोग करके करनी चाहिए।

कर्मचारी और व्यावसायिक भागीदार, जिनमें ग्राहक भी शामिल हैं, अपनी चिंताओं की रिपोर्ट रीगल सत्यनिष्ठा सतर्कता लाइन (Regal's Integrity Alert Line) पर संपर्क करके कर सकते हैं। दो मुख्य तरीके हैं – फोन या वेब पोर्टल। टेलीफोन नंबर्स और एक्सेस कोड्स (जहां आवश्यकता हो) साथ ही वेब पते रीगल संचालन वेबसाइट (Regal Governance website) पर जाने पर या रीगल की व्यावसायिक आचार एवं नैतिकता संहिता (Regal Code of Business Conduct and Ethics) को देखने पर उपलब्ध हो सकते हैं।

जहां पर कानून अनुमति देता है, वहां पर यदि रिपोर्ट करने वाला चाहे तो गुमनाम रह सकता है।

6. **Regal के संसाधन और प्रश्न।** किसी भी प्रश्न के बारे में सहायता देने के लिए हमने एक **बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों ("FAQ")** का दस्तावेज तैयार किया है। यह दस्तावेज **परिशिष्ट 3** है। अपने व्यावसायिक भागीदार के अनुमोदन संबंधी प्रश्नों को नैतिकता एवं अनुपालन कार्यालय को भेजें।

यह दस्तावेज नियंत्रित है और इसे इलेक्ट्रॉनिक विधि से जारी किया गया है। Regal corporate website (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) पर पोस्ट किया गया इंग्लिश संस्करण सबसे अद्यतिद दस्तावेज है। मुद्रित प्रतियां या इलेक्ट्रॉनिक विधि से अन्य स्थानों पर स्टोर की गई प्रतियां पुरानी (व्यवहार में न आने वाली) हो सकती है।

यदि **<u>कार्य करने से पहले,</u>** आपके मन में इस नीति या किसी परिशिष्ट या कार्यविधि के आशय के बारे में कोई प्रश्न है, तो प्रमाणन और मार्गदर्शन के लिए पूछें। अनिश्चितताओं का समाधान स्वयं करने का प्रयास न करें। प्रशिक्षण में भाग लें और आपको उपलब्ध कराए गए आकलनों एवं प्रमाणनों को पूरा करें। इस नीति और इससे संबंधित कार्यविधियों का पालन न करने को गंभीरता से देखा जाएगा जो अनुशासनिक कार्रवाई का आधार बन सकती है, जिसमें सकारण अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेकर नौकरी की समाप्ति भी शामिल हो सकती है।

5. **संबद्ध नीतियों और कार्यविधियां अतिरिक्त अपेक्षाओं के साथ।**

व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता
परिशिष्ट 1, व्यावसायिक भागीदार संबद्धता या पुनर्संबद्धता कार्यविधि
(Appendix 1, Business Partner Engagement and Re-Engagement Procedure)
परिशिष्ट 2, प्रारंभिक अंतर्ग्रहण (रीगल कर्मचारी रिपोर्ट)
[Appendix 2, Initial Intake (Regal Employee Report)]
परिशिष्ट 3, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और सार्वजनिक संसाधन
[Appendix 3, Frequently Asked Questions (FAQs) and Public Resources]
परिशिष्ट 4, व्यावसायिक भागीदार वार्षिक प्रमाणन
(Appendix 4, Business Partner Annual Certification)
परिशिष्ट 5, व्यावसायिक भागीदार भ्रष्टाचार-विरोधी प्रश्नावली
(Appendix 5, Business Partner Anti-Corruption Questionnaire)
परिशिष्ट 6, अनिवार्य संविदा शर्तें
(Appendix 6, Mandatory Contract Terms)
परिशिष्ट 7, संस्तुत संविदा शर्तें
(Appendix 7, Recommended Contract Terms)
परिशिष्ट 8, चेतावनी चिह्न
(Appendix 8, Warning Signs)

नीति लेखक (के लेखक):	लौरल बर्क, संबद्ध महाधिवक्ता – अनुपालन (Laurel Burke, Assoc General Counsel - Compliance)	laurel.burke@regalbeloit.com +1 608-361-7416
विधिक सलाहकार:	बाहरी अधिवक्ता [डेविड साइमन, फोली व लार्डनर (David Simon, Foley & Lardner)]	
कार्य/व्यवसाय :	विधिक	
अनुमोदनकर्ता:	☐ जोखिम एवं अनुपालन समिति ✓ CEO ☐ COO ☐ CFO ☐ Corp HR VP ✓ GC	दस्तावेज स्टोरेज सूचना: 2014-00120: 0000006400
भाषा:	अरबी, चीनी (सरलीकृत), डच, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, हिंदी, इटैलियन, मलय, पोर्तुगीज़, रोमैनियन, रशियन स्लोवाकियन, स्पैनिश, थाई	
संशोधन संबंधी इतिहास:	5:सही की गई भाषा जिनका अनुवाद इनमें किया गया है 4: व्यवसायिक भागीदार के लिए परिशिष्ट 1 की कार्यविधि के साथ संगत बनाई गई, अद्यतित प्रारूप 3: और अधिक समावेशक 2: अनुवाद जोड़े गए 1	2015-जून-17 2015-जून-12 2012-अगस्त-24 2011- जुलाई

यह दस्तावेज नियंत्रित है और इसे इलेक्ट्रॉनिक विधि से जारी किया गया है। Regal corporate website (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) पर पोस्ट किया गया इंग्लिश संस्करण सबसे अद्यतित दस्तावेज है। मुद्रित प्रतियां या इलेक्ट्रॉनिक विधि से अन्य स्थानों पर स्टोर की गई प्रतियां पुरानी (व्यवहार में न आने वाली) हो सकती है।